

विज्ञप्ति

विशेष सचिव, न्याय अनुभाग-3 (नियुक्तियाँ) उ0प्र शासन, लखनऊ के पत्र सं0-डी0-821/सात-न्याय-3-17-08रिट/2017 दिनांक- 15.06.2017 के अनुपालन में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0), बांदा के 01 पद पर नवीन नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र दिनांक-07.07.2017 की सायंकाल 05:00 बजे तक आमंत्रित है :-

क्रमांक	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या	अर्हता/वकालत	दि0-01.08.2017 को आयु
1.	सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0)	एक पद	07 वर्ष	60 वर्ष से कम

अतः इस विज्ञप्ति द्वारा जनपद-बांदा एवं समीपस्थ जनपदों के समस्त बार संघों के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि जो सदस्य उक्त पद पर आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हों, वे निम्नलिखित विवरण सहित सूचना के साथ दिनांक-07.07.2017 की सायंकाल 05:00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करें व प्रत्येक विवरण के प्रमाण से सम्बन्धित अभिलेख की प्रमाणित प्रतियाँ संलग्न की जाय।

- 1- आवेदक का नाम
- 2- पिता का नाम
- 3- पूरा पता
- 4- जन्मतिथि
- 5- शैक्षिक योग्यता
- 6- वकालत प्रारम्भ करने की तिथि तथा कार्य अनुभव
- 7- दीवानी/फौजदारी/माल जिसकी वकालत करते हो
- 8- हिन्दी का ज्ञान
- 9- क्या व्यवसायिक आयकर देते हैं, यदि हां तो पिछले 03 साल का आयकर रिटर्न असिस्मेन्ट आदि संलग्न करें
- 10- गत दो वर्षों के कार्य का न्यायालय द्वारा सत्यापित ब्योरा (सूचना निम्न प्रारूप में दें)

क्रमांक	मु0अ0सं0/वर्ष	वादी/प्रतिवादी का नाम	धारा	तारीख फैसला	फैसले का संक्षिप्त विवरण
1	2	3	4	5	6

- 11- यदि अभ्यर्था दूसरा पद जैसे सरकारी वकील ओथ, कमिश्नर, नोटरी, विवाह अधिकारी, एमस्व्यूरी आदि पर धारण करता है, तो उसका विवरण.....
- 12- यदि अभ्यर्था किसी राजनैतिक दल का सदस्य है या पदाधिकारी है तो तीन प्रतियों में अन्डरटेकिंग प्रस्तुत की जाय
- 13- यदि अभ्यर्था अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति का हो, तो उसका उल्लेख प्रमाण पत्र सहित
- 14- यदि अभ्यर्था के विरुद्ध कोई अपराधिक वाद दर्ज/विचाराधीन/निर्णीत हुये हो तो उसका पूर्ण विवरण

निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रार्थना पत्रों/अपूर्ण प्रार्थनापत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। उक्त पद के लिए आवेदन पत्र तीन प्रतियों में दिया जायेगा।

जिला मजिस्ट्रेट,
बांदा

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, बांदा

पत्रांक :- 56(20)/जे0ए0-बांदा

दिनांक-22 जून, 2017

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु एवं सूचना पट पर प्रदर्शित करने हेतु।

- 1- माननीय आयुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा।
- 2- माननीय जिला जज, बांदा।
- 3- जिलाधिकारी, चित्रकूट/हमीरपुर/महोबा।
- 4- अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, बांदा/बबेरू/नरैनी/अतर्रा/कर्वा/चित्रकूट/महोबा/हमीरपुर।
- 5- समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद-बांदा।
- 6- नाजिर सदर कलेक्ट्रेट, बांदा।
- 7- जिला सूचना अधिकारी बांदा को इस निर्देश के साथ कि उक्त विज्ञप्ति को स्थानीय प्रचलित समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करायें।

8- जिला सूचना अधिकारी बांदा।

जिला मजिस्ट्रेट,
बांदा